बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: आदेश ::

संचिका सं0–9/न्या0–09/2002 (छाया संचिका)–सा0प्र0 13571/पटना, दिनांक– 25-10-17

श्री चन्द्रमौली मिश्रा, निजी सहायक, मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना की नियुक्ति आशुलिपिक–सह–टंकक, मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग के पद पर दिनांक 10.02.1975 को की गयी थी। उत्क्रमण के उपरांत श्री मिश्रा की नियुक्ति निजी सहायक संवर्ग के अन्तर्गत निजी सहायक के पद पर दिनांक 01.09.1987 को हुई। विधानसभा में पूछे गये प्रश्न के आलोक में जाँचोपरान्त स्पष्ट हुआ कि श्री मिश्र के द्वारा मैट्रिक प्रमाण–पत्र में जालसाजी कर नियुक्ति प्राप्त की गयी, जबकि नियुक्ति के समय उनकी वास्तविक आयु कम थी। श्री मिश्र की उम्र आशुटंकक के पद पर नियुक्ति के समय मात्र 17 वर्ष थी जो सेवा में प्रवेश हेतु निम्नतम आयु से कम थी। श्री मिश्र के द्वारा जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आलोक में उनके विरूद्ध सचिवालय थाना कांड सं0–722/94 दिनांक 23.11.94 द्वारा प्राथमिकी दायर की गयी।

श्री मिश्र के विरूद्ध जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इसी बिच विशेष सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग जहाँ श्री मिश्र प्रतिनियुक्त थे, के द्वारा अचानक श्री मिश्र के दिनांक 07.05.94 से कर्त्तव्य से लापता होने की सूचना विभाग को दी गयी।

श्री मिश्र द्वारा जालसाजी कर नौकरी प्राप्त करने, एक से अधिक पत्नी रखने तथा अनाधिकृत रूप से कर्त्तव्य से दिनांक 07.04.94 से लापता रहने के आरोप में उन्हें दिनांक 22.11.95 से निलंबित किया गया तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उन्हें दिनांक–05.11.94 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्र के माध्यम से 15 दिनों के अन्दर कर्त्तव्य पर योगदान देने के लिए सूचित किया गया। लेकिन उन्होंने कर्त्तव्य पर योगदन नहीं दिया। पुनः उन्हें प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.02.96 के माध्यम से 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं कर्त्तव्य पर योगदान देने हेतु सूचित किया गया। साथ ही, यह भी सूचना दी गई कि अगर वे निर्धारित अवधि में योगदान एवं स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते है, तो सरकार द्वारा उनके विरूद्ध एकतरफा विभागीय कार्यवाही संचालित कर निर्णय लिया जायेगा। लेकिन श्री चन्द्रमौली मिश्र द्वारा न तो कर्त्तव्य पर योगदान दिया गया और न ही स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री मिश्र के विरूद्ध जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने एवं दिनांक 07.05.94 से जानबूझ कर फरार रहने के आरोप को प्रमाणित पाया गया। सम्यक् विचारोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 76 एवं संविधान की धारा 311(2) के आलोक में श्री मिश्र को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 एवं संविधान की धारा 311(2) के तहत् श्री मिश्र को उनके कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की तिथि 07.05.94 के प्रभाव से विभागीय आदेश ज्ञापांक 29 दिनांक 27.07.2002 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया।

श्री मिश्र की पत्नी श्रीमती रेणुका रानी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1544/2002 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 08.02.2002 को आदेश पारित हुआ। पुनः उनकी पत्नी द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13551/2002 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.09.2011 को पारित न्यायादेश में सरकार के उक्त बरखास्तगी आदेश को रद्द कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है :–

"23. Accordingly, this writ petition is allowed, orderdated 06.08.2002 passed by the Secretary, Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar and communicated to the petitioner vide memo dated 08.08.2002 (Annexure-10) issued by the Deputy Secretary of the Department, as well as order dated 27.07.2002 (Annexure-12) passed by the Deputy Secretary, Department of Personnel and AdministrativeReforms, Government of Bihar arequashed and the respondents are

(कृ0पृ0उ0)

directed to calculate and pay to the petitioner all the service/retiral dues of her husband Chandra Mauli Mishra, who was admittedly a government servant treating him to be dead as per the provision of section 108 of the Evidence Act due to being traceless since 07.05.1994.

24. The said order must be complied in full by Respondent no.3 within three months from the date of receipt/production of a copy of this order before the Secretary, Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (respondent no.3) failing which the petitioner must approach this court for initiating a proceeding for punishing the contemnor for disobedience and violation of this order."

सरकार द्वारा उक्त न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 संख्या 897/2012 दायर किया गया। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त एल0पी0ए0 को वैध साक्ष्य के अभाव में दिनांक 17.07.2017 को खारिज कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 को खारिज किये जाने के उपरान्त पुरे मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 13551/2002 में दिनांक 09.09.2011 को पारित आदेश का अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री मिश्र, निजी सहायक, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना के बर्खास्तगी आदेश ज्ञापांक 29 दिनांक 27.07.2002 को रद्द करते हुए विभागीय परिपत्र सं0–1083 दिनांक 24.02.1990 में निहित प्रावधान के तहत् श्री मिश्र को सरकारी लापता मृत कर्मी मानते हुए उनके उत्तराधिकारी को नियमानुसार अनुमान्य (सेवान्त लाभ स्वीकृति की) कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है।

23/10/17

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–9/न्या0–09/2002 (छाया संचिका)–सा0प्र0-12571/पटना, दिनांक– 25-10-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/सिंचाई भवन, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (स्था0)/लेखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/17

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–9/न्या0–09/2002 (छाया संचिका)–सा0प्र0-12571/पटना, दिनांक– 25-10-17

प्रतिलिपि :– श्रीमती रेणुका रानी, पत्नी श्री चन्द्रमौली मिश्रा, आवास सं0–55/800, शास्त्री नगर, रोड़ नं0–07, पटना–23 को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/17

सरकार के अवर सचिव।